

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या 38/2021-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 21 दिसंबर, 2021

सा.का.नि.....(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2021 के नियम 1 के उप-नियम 2 के अनुसरण में संख्या 35/2021-केन्द्रीय कर, जो संख्यांक सा.का.नि. 659(अ), तारीख 24 सितंबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, 1 जनवरी, 2022 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है, जिसको उक्त नियम के नियम 2 के उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (6) के खंड (i) और उपनियम (7) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. सीबीआईसी-20006/26/2021-जीएसटी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार